न्यायालय : सहायक कलेक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमति शकुन्तला चौधरी आरएएस

प्रकरण सं0 : 385/2021

1. कृष्ण कुमार पुत्र परसाराम जाति जाट निवासी भाडी त0 भादरा।

:– वादी

ब ना म

1. परसाराम पुत्र पूर्ण जाति जाट निवासी भाडी त0 भादरा।
2. मानसिंह पुत्र परसाराम जाति जाट निवासी भाडी त0 भादरा।
3. गुलजारी पुत्र परसाराम जाति जाट निवासी भाडी त0 भादरा।
4. छोटूराम पुत्र परसाराम जाति जाट निवासी भाडी त0 भादरा।
5. अनिल कुमार पुत्र जयदेव जाति जाट निवासी भाडी त0 भादरा।
6. बिमला देवी पुत्री परसाराम पत्नी धनपतराम जाति जाट निवासी भाडी त0 भादरा हाल निवास ढाणी बडी सादपूरा जिला चुरू।
7. सामरो पुत्री परसाराम पत्नी भीमसिंह जाति जाट निवासी भाडी त0 भादरा हाल निवास ढाणी बडी सादपूरा जिला चुरू।
8. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट-ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादीगण श्री महेश बंसल एवं वकील प्रतिवादीगण श्री योगेश शर्मा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादीगण साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रेही मौजा भाडी के खाता सं0 61/216 के खसरा सं0 260 की 0.0120है0 गै0 मु0 कुण्ड, खसरा सं0 261 की 7.2230है0, खसरा सं0 371 की 5.7050है0, खसरा सं0 373 की 10.9680है0, खसरा सं0 513/1 की 1.1640है0 कुल 25.0720है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 परसाराम के नाम 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उक्त वर्णित वादभूमि में से प्रतिवादी सं0 1 परसाराम की बजाय वादी कृष्ण कुमार व प्रतिवादी सं0 1 परसाराम, प्रतिवादी सं0 2 मानसिंह, प्रतिवादी सं0 3 गुलजारी, प्रतिवादी सं0 4 छोटूराम व प्रतिवादी सं0 5 अनिल कुमार को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। चूकि प्रतिवादी सं0 6 व 7 ने अपना हक व हिस्सा उक्त वाद भूमि में से वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 5 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व आदि कृषि भूमि के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 8.2.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) भादरा
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमति शकुन्तला चौधरी आरएएस

प्रकरण सं0 : 385/2021

1. कृष्ण कुमार पुत्र परसाराम जाति जाट निवासी भाडी त0 भादरा।

:– वादी

ब ना म

1. परसाराम पुत्र पूर्ण जाति जाट निवासी भाडी त0 भादरा।
2. मानसिंह पुत्र परसाराम जाति जाट निवासी भाडी त0 भादरा।
3. गुलजारी पुत्र परसाराम जाति जाट निवासी भाडी त0 भादरा।
4. छोटूराम पुत्र परसाराम जाति जाट निवासी भाडी त0 भादरा।
5. अनिल कुमार पुत्र जयदेव जाति जाट निवासी भाडी त0 भादरा।
6. बिमला देवी पुत्री परसाराम पत्नी धनपतराम जाति जाट निवासी भाडी त0 भादरा हाल निवास ढाणी बडी सादपूरा जिला चुरू।
7. सामरो पुत्री परसाराम पत्नी भीमसिंह जाति जाट निवासी भाडी त0 भादरा हाल निवास ढाणी बडी सादपूरा जिला चुरू।
8. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री महेश बंसल : वादी

वकील श्री योगेश शर्मा : प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक : 8.2.2022

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा भाडी के खाता सं0 61/216 के खसरा सं0 260 की 0.0120है0 गै0 मु0 कुण्ड खसरा सं0 261 की 7.2230है0, खसरा सं0 371 की 5.7050है0, खसरा सं0 373 की 10.9630है0, खसरा सं0 513/1 की 1.1640है0 कुल 25.0720है0 बारानी खातेदारी में प्रतेवादी सं0 1 परसाराम के नाम 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जो पहले वादी के दादा पूर्ण की खातेदारी हुआ करती थी। पूर्ण के देहान्त के बाद उक्त भूमि को प्रतिवादी सं0 1 परसाराम ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम विरासतन दर्ज करवा ली।

वादी एंव प्रतिवादगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादग्रस्त भूमि वादीकी पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीका जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी अपनी बंटवारा की भूमि को समतल, उपजाउ बनाकर सुधार करना चाहते है जिसके लिए उन्हे केसीसी, ऋण आदि की आवश्यकता रहती है इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये लिहाजा यहां बनाम मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं 1 ता 7 के द्वारा आपसी सहमती से दावा की सभी मद संख्या को स्वीकार करते हुए अपने पहचान पत्र व दस्तावेजों के साथ राजीनामा पेश किया गया। प्रतिवादी सं0 8 स्टेट की ओर से

Scanned with CamScanner

जवाबदावा पेश किया। प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नही है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यु 1 कृष्ण कुमार पुत्र परसाराम के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी भाडी के खाता सं0 61/216 प्रदर्श 1, सत्यप्रतिलिपि खसरा गिरदावरी खसरा सं0 260 प्रदर्श 2, सत्यप्रतिलिपि खसरा गिरदावरी खसरा सं0 261 प्रदर्श 3, सत्यप्रतिलिपि खसरा गिरदावरी खसरा सं0 513 प्रदर्श 4, सत्यप्रतिलिपि खसरा गिरदावरी खसरा सं0 371 प्रदर्श 5, सत्यप्रतिलिपि खसरा गिरदावरी खसरा सं0 373 प्रदर्श 6, चित्रप्रति मृत्यु प्रमाण पत्र जयदेव प्रदर्श 7ए, चित्रप्रति मृत्यु प्रमाण पत्र शारदा देवी पत्नी जयदेव प्रदर्श 8ए, चित्रप्रति मृत्यु प्रमाण पत्र सुनील कुमार पुत्र जयदेव प्रदर्श 9ए, सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श 10 प्रदर्शित करवाये।

वहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादीगण के हकों पर विपरित असर पड़ता है।अतः मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की वहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने रोही भाडी के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी भाडी के खाता सं0 61/216 प्रदर्श 1, सत्यप्रतिलिपि खसरा गिरदावरी खसरा सं0 260 प्रदर्श 2, सत्यप्रतिलिपि खसरा गिरदावरी खसरा सं0 261 प्रदर्श 3, सत्यप्रतिलिपि खसरा गिरदावरी खसरा सं0 513 प्रदर्श 4, सत्यप्रतिलिपि खसरा गिरदावरी खसरा सं0 371 प्रदर्श 5, सत्यप्रतिलिपि खसरा गिरदावरी खसरा सं0 373 प्रदर्श 6, चित्रप्रति मृत्यु प्रमाण पत्र जयदेव प्रदर्श 7ए, चित्रप्रति मृत्यु प्रमाण पत्र शारदा देवी पत्नी जयदेव प्रदर्श 8ए, चित्रप्रति मृत्यु प्रमाण पत्र सुनील कुमार पुत्र जयदेव प्रदर्श 9ए, सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श 10 प्रदर्शित करवाये। जिसमें प्रदर्श 10 वारिस प्रमाण के अनुसार परसाराम के पांच पुत्र कृष्ण कुमार, मानसिंह, गुलजारी, छोटूराम व स्व0 जयदेव (चूंकि स्व0 जयदेव के जायज वारिसान में स्व0 शारदा देवी पत्नी जयदेव, स्व0 सुनील कुनार (अविवाहित फौत) पुत्र जयेदव व अनिल कुमार पुत्र जयदेव) व दो पुत्री बिमला व सामरो तथा इनके अलावा कोई वारिस नहीं होना अंकित है। तथा प्रदर्श 2 से वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि होना साबित है तथा वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 ता 7 का जन्म से हक हिस्सा निहित है। प्रतिवादी सं0 6 व 7 ने अपना हक हिस्सा उक्त वाद भूमि में से वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 5 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। इस प्रकार वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा

कियात्मक आदेश

अतः वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भाडी के खाता सं0 61/216 के खसरा सं0 260 की 0.0120है0 गै0 मु0 कुण्ड, खसरा सं0 261 की 7.2230है0, खसरा सं0 371 की 5.7050है0, खसरा सं0 373 की 10.9680है0, खसरा सं0 513/1 की 1.1640है0 कुल 25.0720है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 परसाराम के नाम 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उक्त वर्णित वादभूमि में से प्रतिवादी सं0 1 परसाराम की बजाय वादी कृष्ण कुमार व प्रतिवादी सं0 1 परसाराम, प्रतिवादी सं0 2 मानसिंह, प्रतिवादी सं0 3

Scanned with CamScanner

गुलजारी, प्रतिवादी सं0 4 छोटूराम व प्रतिवादी सं0 5 अनिल कुमार को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। चूकि प्रतिवादी सं0 6 व 7 ने अपना हक व हिस्सा उक्त वाद भूमि में से वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 5 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 8.2.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शकुन्तला चौधरी)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) भादरा
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner